बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

07 APR

पत्रांक – प्र04/र.वि.अधि.–02/10 – 2105 खाद्य, पटना/दिनांक – 4.4.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना एवं निर्देश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रब्बी विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्यक्रम दिनांक 15.04.11 से दिनांक 31.07.11 तक प्रभावी होने जा रहा है । इस मौसम में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1120/– प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2011–12 में गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य 10.5 लाख मे0 टन रखने का निर्णय लिया गया है जिसमें अभिकरणवार गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

11.04.2011

(मे0 टन में)

भारतीय खाद्य निगम	–	2.5 लाख
नेफेड	–	2.0 लाख
बिस्कोमान	–	1.5 लाख
बिहार राज्य खाद्य निगम	–	0.5 लाख
पैक्स	–	4.0 लाख
कुल	–	10.5 लाख

उक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिलाबार लक्ष्य निर्धारण तालिका पत्र के साथ संलग्न है । पूर्व रब्बी एवं खरीफ अधिप्राप्ति कार्यक्रमों के संचालन के क्रम में यह पाया गया है कि किसी अभिकरण अथवा जिला के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् और आगे अधिप्राप्ति कार्य करने में कठिनाईयां उत्पन्न होती है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अभिकरणों एवं जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य एक

अनुमान के आधार पर न्यूनतम निर्धारित किया जाता है, लेकिन उस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति किये जाने पर कोई रोक नही है । अभिकरणों द्वारा अधिक से अधिक गेहूँ अधिप्राप्ति किये जाने से इसका लाभ अन्ततः किसानों को होगा एवं वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होंगे ।

राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने हेतु संकल्पित है ताकि उपर्युक्त लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जा सके । यद्यपि अधिप्राप्ति कार्यक्रम के संचालन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना है तथापि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्न की वांछित मात्रा में आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए भी अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करना सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व है । इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम के कार्यान्वयन/ पर्यवेक्षण में आपकी सहभागिता, आपका नियंत्रण एवं जिला स्तर पर अधिप्राप्ति अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर इस कार्यक्रम का संचालन करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ।

रब्बी विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों के चयन एवं अन्य तैयारियों के सम्बन्ध में आपके द्वारा कार्रवाई की जानी है । अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफलतापूर्वक सक्रिय संचालन हेतु जिला स्तर पर अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की होनेवाली बैठक में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम की प्रारंभिक तैयारियों एवं उसके कार्यान्वयन की समीक्षा आवश्यक है । इस बैठक में खास तौर पर अभिकरणों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता एवं वास्तविक रूप में उसके उपयोग की समीक्षा भी की जाय ताकि अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भंडारण की समस्या न हो ।

इस मौसम में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित जिलावार लक्ष्य के आधार पर अभिकरणों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनके द्वारा खोले जानेवाले अधिप्राप्ति केन्द्रों को निर्धारित तिथि दिनांक 15.04.11 से कार्यशील करने हेतु सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाय । जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अभिकरणों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु खोले जानेवाले अधिप्राप्ति केन्द्र, कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं अन्य तैयारियों की सूचना प्राप्त कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्सों की सुगम पहुंच के कारण तथा किसानो को पैक्स के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान करने के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) को प्रेरित एवं क्रियाशील कराना सुनिश्चित कराया जाय तथा पैक्सों का चयन इस प्रकार किया जाय कि जिला के लगभग सभी प्रखंड पैक्स के क्रय केन्द्र से आच्छादित हो जाय ।

अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य अभिकरणों के पदाधिकारी/कर्मचारी पर जिला स्तर से प्रभावकारी पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है । यदि उनकी शिथिलता एवं लापरवाही का कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उसकी सूचना उनके नियंत्री पदाधिकारी को देते हुए विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं यथा क्रय केन्द्रों की अवस्थिति, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अन्य संबंधित तथ्यों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जाय ताकि किसानों को जानकारी के अभाव में उनके उपज की आलात बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े तथा वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से शत प्रतिशत लाभान्वित हों । अधिप्राप्ति केन्द्रों पर समुचित विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाय ।

उल्लेखनीय है कि अधिप्राप्ति के विभिन्न राज्य अभिकरणों यथा भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिस्कोमान, नेफेड एवं पैक्स द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रय केन्द्रों की सूची के आधार पर क्रय केन्द्रों के वास्तविक रूप से क्रियाशील नही होने की सूचनाएं प्राप्त होती है । ऐसी स्थिति में सभी अधिप्राप्ति अभिकरणों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों से क्रय केन्द्रों के वास्तविक रूप से क्रियाशील होने के सम्बन्ध में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर उसकी आकस्मिक एवं आवधिक जांच/निरीक्षण जिला स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से करा लिया जाय तथा एतद सम्बन्धी प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय ।

विभागीय पत्रांक 4959 दिनांक 20.11.09 एवं 5469 दिनांक 14.12.09 के द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न तथाकथित बिचौलियों पर अंकुश लगाने एवं कार्यक्रम के संचालन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से तीन उपायों जिसमें किसान के भू–लगान रसीद पर मुहर लगाया जाना, किसानो को एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा उनसे क्रय किये गये उत्पाद का मूल्य भुगतान किया जाना एवं किसान परिचय पत्र के आधार पर क्रय करना सम्मिलित है, में से किसी एक आधार पर निर्बाध रूप से अधिप्राप्ति कार्यक्रम को संचालित करने का निदेश दिया गया था, का अनुपालन भी अपेक्षित है ।

जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी के प्रभार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाय जो राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के निरन्तर सम्पर्क में रहेगा । जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे । इसके लिए विभागीय पत्रांक 6656 दिनांक 12.12.08 द्वारा आपके अधीनस्थ जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु जिला के नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करने का निदेश दिया जा चुका है । जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष से प्रतिदिन गेहूँ अधिप्राप्ति प्रतिवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को फैक्स सं0 0612–2239760 पर प्रेषित किया जायेगा ।

अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निदेशों के अनुपालन एवं अभिकरणों के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्रों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराया जाना

भी आवश्यक है ताकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके । इसके लिए आप स्वयं तथा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूँ क्रय का कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है तथा इस कार्य में बिचौलिए आदि सक्रिय नही है । क्रय केन्द्रों पर भीड़ होने की स्थिति में क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा किसानों को निर्गत पर्ची द्वारा पंक्तिबद्ध कराकर क्रमानुसार क्रय का कार्य किया जायेगा ।

आग्रह है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आगामी गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम से सम्बन्धित समग्र व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित करने की कृपा करें ताकि अधिप्राप्ति कार्य निर्धारित समय से आरंभ हो सके ।

विश्वासभाजन,

[signature] 2/04/2011

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक — प्र04 / र.वि.अधि.–02 / 10 — 2405 खाद्य, पटना / दिनांक — 4.4.2011

प्रतिलिपि — मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, पटना / शाखा प्रबंधक, नेफेड, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[signature] 2/04/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक — प्र04 / र.वि.अधि.–02 / 10 — 2405 खाद्य, पटना / दिनांक — 4.4.2011

प्रतिलिपि — संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

[signature] 2/04/2011

प्रधान सचिव ।

(जिला आपूर्ति शाखा, छपरा)

ज्ञापांक: 589 दिनांक 11-4-11

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय प्रबंधक, भा० खा० निगम, छपरा / जिला प्रबंधक, रा० खा० निगम, छपरा / जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, छपरा / प्रबंधक, बिस्कोमान छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- [illegible] प्रेषित

[signature] 11/4/11

जिला आपूर्ति पदा०
सारण छपरा
11-4-2011

रब्बी विपणन मौसम 2011-12 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति

(ऑकड़ा मे0टन में)

क्र0सं0	जिला का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1	पटना	45000
2	नालंदा	35000
3	भोजपुर	55000
4	बक्सर	60000
5	रोहतास	90000
6	कैमूर	60000
7	गया	20000
8	जहानाबाद	10000
9	अरवल	5000
10	नवादा	20000
11	औरंगाबाद	35000
12	सारण	30000
13	सिवान	30000
14	गोपालगंज	30000
15	मुजफ्फरपुर	30000
16	पू0चम्पारण	35000
17	प0चम्पारण	40000
18	सीतामढ़ी	20000
19	शिवहर	5000
20	वैशाली	25000
21	दरभंगा	25000
22	मधुबनी	20000
23	समस्तीपुर	80000
24	बेगूसराय	50000
25	मुंगेर	10000
26	शेखपुरा	5000
27	लखीसराय	5000
28	जमुई	10000
29	खगड़िया	30000
30	भागलपुर	25000
31	बांका	10000
32	सहरसा	15000
33	सुपौल	10000
34	मधेपुरा	15000
35	पूर्णियाँ	20000
36	किशनगंज	10000
37	अररिया	15000
38	कटिहार	15000
	कुल :-	1050000